न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 78/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 उगमा पिता गीला कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 मदनलाल पिता बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 मु.सोहनी पुत्री बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 मु.कैसर पुत्री बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

5 मु.कमला पुत्री बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

6 मु.प्रेम पुत्री बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

7 भागचन्द पिता कालुराम माली उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

8 रमेश चन्द्र पिता कालुराम माली उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

9 शंकरलाल पिता कालुराम माली उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 रामरख पिता गोविन्दराम महाजन उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 गंगाराम पिता श्रीकिशन कीर उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 रामेश्वर पिता रामसुख जाट उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुनिल कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा ———अधिवक्ता प्रार्थी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 16.07.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 2221, 2223, 2234, 2236, 5664/2235 प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी/सहखातदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 2220 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 2220 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 13.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां दिनांक 15.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 03 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बावत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम फुलियाकलां स्थित विपक्षी क्रम 01 की आराजी संख्या 2220 रकबा 0.44 हैक्टे. में से 0.04 हैक्टे. (04 मीटर चौडा) सुगमतम एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी 01 को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 आराजी संख्या 2220 में से 0.04 हैक्टे. (04 मीटर चौडा) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थी को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम फुलियाकलां स्थित विपक्षी क्रम 01 की आराजी संख्या 2220 रकबा 0.44 हैक्टे. में से 0.04 हैक्टे. (04 मीटर चौडा) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फुलियाकलां स्थित विपक्षी क्रम 01 की आराजी संख्या 2220 रकबा 0.44 हैक्टे. में से 0.04 हैक्टे. (04 मीटर चौडा) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 2220 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.04 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 33,132/–रूपये (0.04 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा